वकील पक्षकारान उप0 अधिवक्ता वादी द्वारा पूर्व में तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी वादी द्वारा सीधे बहस श्रवण किये जाने का निवेदन किया गया अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया की पूर्व में भी विभाजन प्रस्ताव हेतु रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा द्वारा क्रमांक/भू0अ0/3208 दिनांक 28.10.2025 को पेश हुई उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार चिड़ावा रिपोर्ट अनुसार मौके जॉच अनुसरा उक्त खसरा वाणिज्यिक व आवासीय गतिविधियां हो रही है व मौके पर वादी का कब्जा नहीं होने के कारण विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं है तथा अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि उक्त भूमि का बेचना वादी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। जिस पर अधिवक्ता वादी द्वारा आपत्ति एतराज पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई पुनः तहसीलदार चिड़ावा द्वारा रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/3521 दिनांक 28.11.2025 को पेश हुई है कि विभाजन किया जाना संभव नहीं हैं। जिस पर अधिवक्ता वादी द्वारा पुनः आपत्ति पेश की गई कि तहसीलदार चिड़ावा द्वारा एक जैसी रिपोर्ट पेश की गई है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली पर प्रस्तुत अधिवक्ता वादी द्वारा पेश आपत्ति एवं तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पेश रिपोर्ट का अवलोकन किया गया अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा पेश की गई आपत्ति के आधार पर तहसीलदार चिड़ावा से रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी है कि जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर विभाजन प्रस्ताव किया जाना संभवं नहीं है अतः वादी का वाद चाहे गये अनुतोष अनुसार विभाजन किया जाना संभव नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0 नरेश सोनी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)